

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना के अधिकार शाखा)

लोक सूचना सं.- 06/2023 (आर.टी.आई.)

दिनांक:- 10/10/2023

All concerned are hereby informed that the following amendmen/change has been made in the officer designated as Central Public Information Officer (CPIO) in accordance to Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 in the administrative jurisdiction of the Central Goods & Services Tax Commissionerate, Jaipur with immediate effect:-

क्र. सं.	प्रशासनिक कार्यालय	इकाई	पूर्व केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	संशोधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और पता
1.	केन्द्रीय वस्तु एवं उत्पाद शुल्क संभाग-ए, जयपुर		श्री जीतेन्द्र कुमार मीणा, उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-ए, सीपी-21.22.23, वीकेआई एरिया रोड न. 1डी, विद्याधर नगर, जयपुर	श्री मनिंदर जैन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-ए, सीपी-21.22.23, वीकेआई एरिया रोड न. 1डी, विद्याधर नगर, जयपुर Email id:- maninderj.g108901@gov.in
2.	केन्द्रीय वस्तु एवं उत्पाद शुल्क संभाग-सी, जयपुर		श्री विजय सिंह मीणा, उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-सी, सीपी-21.22.23, वीकेआई एरिया रोड न. 1डी, विद्याधर नगर, जयपुर	श्री मीणा राम सिंह, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-सी, सीपी-21.22.23, वीकेआई एरिया रोड न. 1डी, विद्याधर नगर, जयपुर Email id:- ramsinghpm.g019201@gov.in
3.	केन्द्रीय वस्तु एवं उत्पाद शुल्क संभाग-डी, जयपुर		श्री गुलाब चंद मीणा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-डी, सेंट्रल एक्साइज बिल्डिंग, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर	श्री आर.पी.एस. सोलंकी, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-डी, सेंट्रल एक्साइज बिल्डिंग, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर Email id:- rajendrapass.g108901@gov.in

चेतन जैन
10/10/23
(चेतन कु. जैन)
प्रधान आयुक्त

फा.सं. V(Tech)RTI/JPR/01/2016 | 573

निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
- (2) उप/सहायक आयुक्त, सीजीएसटी संभाग- ए/बी/सी/डी/ई/एफ/जी/एच/आई, जयपुर एवं जे/के, अजमेर |
- (3) अधीक्षक (आरटीआई), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को आरटीआई पोर्टल पर सूचना अधतन करने हेतु |
- (4) अधीक्षक (कंप्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |